## न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बुण्डू (राँची)

वाद सं0-RM 08/2016 धारा-242 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम

बलदेव	सिंह	मुण्डा	वगैरह	आवेदक।
			बन	<b>गाम</b>
जीतेन	महत	··· fr		विपक्षी।

आदेश

15.09.2020

प्रस्तुत वाद में आवेदकगण 1. बलदेव सिंह मुण्डा वो बलराम सिंह मुण्डा दोनों पिता— स्व0—जगजीवन सिंह मुण्डा सािकन—डामारी थाना—बुण्डू, जिला—राँची के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन देकर विपक्षीगण जीतेन महतो पिता—स्व० रोहिना महतो सािकन—डामारी थाना—बुण्डू, जिला—राँची के विरुद्ध निम्नलिखित भूमि पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—242 के तहत वाद दायर किया गया है, जिसमें अनुरोध किया है कि धारा—242 छो० का० अधि० के तहत कार्रवाई कर जमीन को वापस दिलाया जाय।

जमीन विवरणी निम्न प्रकार है:-

 मौजा
 थाना/सं0
 खें वट सं0
 खाता सं0
 प्लॉट सं0
 रकबा

 डामारी
 बुण्डू/16
 5
 17
 70
 65 डी0

 मध्ये 06½ डी0

चौहदी:- उ0-रास्ता, द0-एतवा पातर, पू0-भरत महतो, प0-रास्ता

वाद में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना-अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

आवेदक का कारण पृच्छा

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने कारण पृच्छा में निम्न उल्लेख किये हैं:-

- 1. यह है कि भू-वापसी मौजा-डामारी थाना-बुण्डू थाना संख्या—16 खेंवट संख्या—5 खाता संख्या—17 आर0 एस0 खितयान में वकास्त नाम लगान पाने वाला जगरनाथ सिंह मुण्डा वगैरह के नाम से दर्ज है। आवेदकगण की वंशावली निम्न प्रकार है:— स्व0 सरवन सिंह मुण्डा के दो पुत्र मनीनाथ मुण्डा वो जगरनाथ मुण्डा हुए। मनी नाथ मुण्डा के तीन पुत्र स्व0 दिगम्वर सिंह मुण्डा वो भुता वो झुनु हुए। जगरनाथ सिंह मुण्डा के पुत्र जगजीवन सिंह मुण्डा हुए। जगजीवन सिंह मुण्डा के चार पुत्र स्व0 कृष्णा सिंह मुण्डा (नावल्द) वो स्व0 अशोक सिंह मुण्डा वो बलराम सिंह मुण्डा वो बलदेव सिंह मुण्डा हुए। जो बलराम सिंह मुण्डा एवं बलदेव सिंह मुण्डा इस वाद में आवेदक है। स्व0 अशोक सिंह मुण्डा के दो पुत्र राज किशोर सिंह मुण्डा वो सुखलाल सिंह मुण्डा हुए। विपक्षी प्रश्नगत जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मुण्डारी खुटकट्टी जमीन का हस्तानांतरण नहीं किया जा सकता है।
- यह है कि विपक्षीगणों के द्वारा दिनांक 03/08/1952 ई0 का बन्दोवस्ती पट्टा दिखाते है, जो गलत एवं बनावटी है।
- 3. यह है कि खेंवट संख्या—5, खाता संख्या—17 एवं अन्य प्लॉटो पर वर्ष 1949 ई0 को मनीनाथ सिंह मुण्डा एवं अन्य बनाम जगजीवन सिंह मुण्डा कें बीच पार्टीसन सूट/बँटवारा वाद 14/1949 स्पेशल सोवोडीनेट जज् राँची के न्यायालय में दिनांक 11/02/1949 ई0 को दाखिल किया गया था।



0505.2020

वाद का वर्ष 1955 ई0 को फाईनल डिकी दिनांक 11/10/1955 ई0 को जिसमें सिडियूल बी प्रतिवादी के शेयर में मिला है। विपक्षी विवादित जमीन को सन् 03/08/1952 ई0 को सादा हुकुमनामा से प्राप्त करने की बात करते है, जो सरासर गलत है। विपक्षी के द्वारा छो0 का0 अधि0 की धारा—240 का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने छो0 का0 अधि0 की धारा—242 के तहत भूमि को वापसी हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने समर्थन में निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है:—

1. आर0 एस0 खतियान की छायाप्रति।

2. आर0 एस0 खेंवट संख्या-5 की छायाप्रति।

## विपक्षी का कारण पृच्छा

विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने कारण पृच्छा में निम्न उल्लेख किये है:-

1. यह है कि खेंवट संख्या—5 के खेंवटदार जगरनाथ सिंह मुण्डा ने जगवन्धु महतो ,हिर महतो एवं लखन महतो पिता—स्व0 देव लाल महतो को सन् 03/08/1952 ई0 को 99/— (निनानब्बे) रूपये सलामी/नजराना लेकर मौजा—डमारी, थाना—बुण्डू थाना—संख्या—16, खाता संख्या—17 प्लॉट संख्या—70, रकवा—31 डी0 एवं प्लॉट संख्या—71 रकवा—23 डी0 जमीन को सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती प्राप्त किये है। सन् 1980 ई0 तक लगान भी दिये है। वंशावली निम्न प्रकार है:— देवलाल महतो के तीन पुत्र जगवन्धु महतो वो हिर महतो वो लखन महतो हुए। जगवन्धु महतो के दो पुत्ररोहिना महतो वो भूषण महतो हुए। रोहिना महतो के पुत्र जीतेन्द्र महतो हुए एवं भूषण महतो के पुत्र घासी महतो हुए। हिर महतो के चार पुत्र इन्द्रा महतो वो भुता महतो वो रुसन महतो वो महादेव महतो उर्फ लुन्दु हुए। इन्द्रा महतो के दो पुत्र रामेश्वर महतो वो राघा नाथ महतो हुए। 2. यह है कि जमीन्दार के द्वारा स्थायी बन्दोवस्ती किया गया है, जो कि विपक्षी के द्वारा छो० का० अधि० की घारा—240 की उलघंन नहीं किया गया है।

3. यह है कि आर0 एम0 वाद संख्या-07/2016 जिसमें विपक्षी नामतः उदय महतो वगैरह है जिसका मौजा-डमारी, थाना-बुण्डू थाना-संख्या-16, जिला-राँची है। यह है कि जगजीवन सिंह मुण्डा पिता-जगरनाथ सिंह मुण्डा ने उदय महतो पिता-स्व0 छत्रु महतो को सन् 07/09/1957 ई0 को 60/- (साठ) रूपये सलामी/नजराना लेकर मौजा-डमारी, थाना-बुण्डू थाना- संख्या-16, खाता संख्या-17 प्लॉट संख्या-70, रकवा-34 डी० जमीन को सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती प्राप्त किये है। जो कि विपक्षी के द्वारा छो० का० अधि० की धारा-240 की उलघंन नहीं किया गया है। वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा अपने समर्थन में निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है :-

- 1. सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती पट्टा दिनांक 03/09/1952 ई0 की छायाप्रति।
- 2. सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती पट्टा दिनांक 09/09/1957 ई0 की छायाप्रति।
- 3. लगान रसीद की छायाप्रति।

वाद में अंचल अधिकारी बुण्डू ने अपने पत्रांक—25 दिनांक 11/01/2018 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि मौजा—डमारी, थाना—बुण्डू थाना—संख्या—16, खाता संख्या—17 सर्वे खितयान में बकास्त नाम लगान पाने वाला जगरनाथ सिंह मुण्डा वगैरह के नाम पर बकास्त मुण्डारी खुटकट्टी दर्ज है। उक्त खाता के प्लॉट संख्या—70 में रकवा—65 डी० जमीन है। मौजा—डमारी ईलाकादारी पंजी में खेंवट संख्या—5 में रैयत जगजीवन सिंह पिता—जगरनाथ सिंह वो दिगम्वर सिंह वो भूतनाथ सिंह वो झुनु सिंह पे0—मनीनाथ सिंह

रड . ० ९ २०२० के नाम पर 38.38 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम है। विगावदित भूमि मुण्डारी खुटकट्टी है, जो सरकार में निहित नहीं है।

> उभय पक्ष के बहस को सुनने, अंचल प्रतिवेदन एवं दाखिल किये गए कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि को आवेदक खितयानी रैयत के वंशज के आधार पर दावा कर रहे हैं एवं विपक्षी सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती से प्राप्त करने के आधार पर दावा कर रहे है। प्रश्नगत भूमि मुण्डारी खुँटकट्टी जमीन है, जो हस्तानान्तरण / बेदखल नहीं किया जा सकता है। छो० का० अधि० की धारा-240 का उलघंन किया गया है। अतः आवेदकगण के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि को एक माह के अन्दर आवेदक को वापस कर दें। अंचल अधिकारी बुण्डू को आदेश दिया जाता है कि यदि विपक्षी एक माह के अन्दर प्रश्नगत भूमि को वापस नहीं करते है तो दखल-देहानी दिलाकर वापस दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

%:ऽ\<sup>ळ</sup> भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,

बुण्डू (राँची)।

4.8/09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बुण्डू (राँची)।